

पुर्वतत जानकारी

फार्म
अचल संपत्ति विवरणका वर्ष 2011

31.12.2013 तक अर्जित अचल संपत्ति का विवरण

प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण वर्ष

1984-85 2013

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम श्रीमती सुचिता कतारू 2. वर्तमान धारित पद का. व. जे. टी. ऑफ 3. कार्यालय का नाम श्री. अर्जुनलाल 2011 परिक्षण (क. व. जे. टी. ऑफ)
 4. वर्तमान वेतन 24170 + 3800 (E. P. G.) 5. सविष्य निधि क्रमांक 23116601 6. कर्मचारी संख्या 85391397

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि किसके नाम पर धारित है और उसका अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया स्वरीद, पट्टा, बंधक विरासत, गैट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जितकी गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
उदा. श्री. सुचिता कतारू, का. व. जे. टी. ऑफ, अर्जुनलाल (क. व. जे. टी. ऑफ)	काम. खेती भूट 8400 वर्ग की		15,00,000/-	स्वयं	कै. जे. लाल (क. व. जे. टी. ऑफ) 2008. का. व. जे. टी. ऑफ, अर्जुनलाल (क. व. जे. टी. ऑफ)	nil	

हस्ताक्षर Suchita Kataru
 नाम Suchita Kataru
 पद CA-Genl

* जहाँ लागू न हो काल दीजिए
 ** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं

टिप्पणी-मंडल द्वारा ग्राह्य म.प्र. शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1985 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य लक्षित के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित संपत्ति का विवरण दें।

इस कार्यालय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।